परिवहन विभाग

MOVE ON

मोटरवाहन चालन विनियम, 2017

सड़क के महत्वपूर्ण नियम

राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ,

परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार

@RajasthanRSC @RSCellRaj

सड़क के महत्वपूर्ण नियम जिन्हें जानना जरूरी है।

- वाहन चलाते समय सड़क और यातायात पर पूरा ध्वाहन केंद्रित करें।
- अपने वाहन को सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से ना चलायें, ना रोकें, ना खड़ा करें कि जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा या असुविधा होने की संभावना हो।
- जब तक सड़क चिन्ह या निशान कोई और संकेत नहीं करते, जहां तक संभव हो अपने वाहन को मार्ग के बायीं ओर रखें ताकि दोतरफा सड़क पर सामने से आ रहे वाहन आपकी दाहिनी तरफ से गुजर सकें तथा एक तरफा सड़क पर पीछे से आ रहे वाहन आपको दायीं ओर से ओवरटेक कर सकें।
- वाहन चलाते समय दोपहिया व पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा का विशेष ध्वाहन रखें।
- चौपहिया वाहन चालक यह सुनिश्चित करें कि आपने व अन्य सवार यात्रियों नें सीटबेल्ट बांध लिये हों।
- दुपहिया वाहन चालक एवं पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी आई.एस.आई. मानदण्डों का हेलमेट पहनने के लिए कानूनन बाध्य है। पूर्ण सुरक्षा पाने के लिए हेलमेट के स्ट्रेप अच्छी तरह से बांध लें।
- वाहन में तेज संगीत ना चलायें।
- शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन कर वाहन ना चलायें।
- मोटर साइकिल या तिपहिया पर सवारी करते समय चालक या सवारी किसी अन्य वाहन को ना पकड़ेगा या ना ही धक्का देगा।
- वाहन चिन्हित लेन के भीतर ही चलायें और उपयुक्त संकेत देकर ही लेन बदलें।
- ओवरटेक करते समय कभी भी सड़क को विभाजित करने वाली लम्बवत पीली रेखा या ठोस सफेद रंग की पंक्ति को पार ना करें।
- वाहन चलाते समय खण्डित रेखा को केवल ओवरटेक करते समय ही पार करें और ओवरटेक के बाद सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए वापस अपनी लेन में आएं।

मोबाइल टेलिफोन या संचार युक्तियों का उपयोग

- ✓ चालक हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाइल फोन या संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगा
- ✓ कोई प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक वाहन चलाना सिखाते समय मोबाइल टेलिफोन या संचार उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा
- ✓ मार्ग प्रदर्शक के अलावा वाहन चलाते समय चलचित्र, डिजिटल ना देखें।

रास्ते का अधिकार

- ✓ रूकने के संकेत से पूर्व आड़ी "रूकने" की रेखा पार करने से पहले रूक जाएं।
- ✓ यदि रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है तब रूकने के संकेत से पहले रूक जाएं।
- ✓ प्रमुख सड़क पर यातायात को रास्ता दें।
- ✓ प्रमुख सड़क पर केवल तब प्रवेश करें जब आगे का रास्ता साफ हो।
- ✓ जहां रास्ता देने के संकेत या रूकने के संकेत से पहले कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं हो तो पहले पैदल पार करने वाले लोगों को रास्ता दें।
- ✓ सड़क किनारे किसी संपत्ति की किसी चार दीवारी से निकलने वाले वाहन को पहले दूसरे मोटर वाहनों और सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को रास्ता देना होगा।

बाएं टर्न

- ✓ बाएं मुड़ते समय अपने मुड़ने के इरादे या दिशा संकेतक या उपयुक्त हाथ का उपयोग करते हुए संकेत दें।
- ✓ बाएं मुड़ने से पहले साइकिल चालकों, अन्य धीमी गति से चलने वाले यातायात एवं अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर पैदल चलने वालों को रास्ता दें।

दाएं टर्न

- ✓ दाएं मुड़ते समय अपने मुड़ने के इरादे या दिशा संकेतक या उपयुक्त हाथ का उपयोग करते हुए संकेत दें।
- ✓ दाएं मुड़ने से पहले सही समय पर दायीं ओर की लेन में प्रवेश करें। अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर पैदल चलने वालों को रास्ता दें।

यू टर्नः यू टर्न नहीं लेना है जहां

- ✓ यू टर्न सड़क चिन्ह या यातायात चिन्हांक द्वारा निषेध है।
- ✓ निरन्तर प्रवाह के यातायात के साथ एक व्यस्त सड़क पर।
- ✓ प्रमुख सड़क, राजमार्ग या चौडे रास्ते/एक्सप्रेस वे पर।
- ✓ निरन्तर एकल या दोहरी ठोस रेखा के आस–पास।

चौराहों पर

- ✓ सड़क के चौराहे, सड़क जंक्शन, पैदल पार पथ या सड़क के किनारे पर पहुंचने पर वाहन की गति धीमी करें और वहां अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में होने की संभावना पर प्रवेश ना करें।

गोल चक्कर पर

- ✓ प्रवेश करते समय पहले से उपस्थित यातायात को पहले रास्ते का अधिकार दें।
- ✓ गोल चक्कर के भीतर लेन बदलते समय संकेत का उपयोग करें।

सिग्नलों के संकेत

- ✓ दाएं या बाएं या किसी और प्रकार से लेन बदलते समय बिजली उपकरणों या हाथ के संकेतों से स्पष्ट बताएं।
- ✓ यदि यांत्रिक संकेत काम नहीं कर रहे हैं तो हाथ से संकेत दें।
    - ❖ वाहन रोकने के लिए अपना दायां हाथ वाहन के बाहर निकालकर लम्बवत् उठाएं।
    - ❖ दायीं ओर मुड़ने या अन्य वाहन को पार कर सडक के दायीं ओर वाहन चलाने के लिए अपना दायां हाथ वाहन से बाहर निकालकर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाएं। (Palm of the hand turn to the front)
    - ❖ बांयी ओर मुड़ने या सड़क के बांए हाथ की ओर चलाने के लिए अपना दाहिना हाथ बाहर निकाल कर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं।
    - ❖ अपने पीछे आने वाले वाहन को ओवरटेक का संकेत देने के लिए अपना दाहिना हाथ वाहन के बाहर क्षैतिज अवस्था (Horizontally) में निकाल कर अर्द्धगोलाकर लय में आगे और पीछे घुमायें।

मैनुअल यातायात नियंत्रण

- ✓ जहां वर्दी में पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति यातायात नियंत्रित करता है तो अपना वाहन धीमा करके उसके निर्देशों की पालना करें।

ओवरटेकिंग

- ✓ अपने वाहन से तब तक ओवरटेक ना करें जब तक ऐसा करना सुरक्षित और नियमों का उल्लंघन है।
- ✓ केवल दायीं ओर से ओवरटेक करें, वाहन को बायीं ओर से तब ओवरटेक किया जा सकता है यदि
    - ❖ आपका वाहन और वह वाहन जिससे ओवरटेक करना है दोनों एक बहुलेन वाली सड़क पर चल रहे हैं और अगले वाहन को सुरक्षित रूप से बायीं ओर से चिन्हित पंक्ति में ओवरटेक किया जा सकता है।
    - ❖ ओवरटेक किए जाना वाला वाहन या तो दांये मुड़ रहा है या यू टर्न ले रहा है और मुड़ने का सिग्नल दे रहा है तो बायीं ओर से ओवरटेक करना सुरक्षित है।
    - ❖ ओवरटेक किये जाने वाला वाहन स्थिर खड़ा हो और उसे ओवरटेक करना सुरक्षित हो।
- ✓ किसी भी वाहन को तब ओवरटेक नहीं किया जाएगा यदि ओवरटेक करने से उस ओर से आने वाले यातायात के बाधित होने की संभावना हो।
- ✓ ओवरटेक करते समय वाहन की गति ओवर टेक किए जाने वाले वाहन से अधिक होगी लेकिन निर्धारित गतिसीमा से अधिक नहीं होगी।

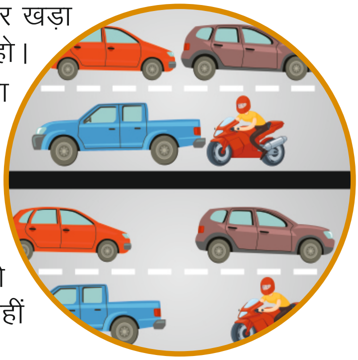

ट्रैफिक कन्ट्रोल सिग्नल: सिग्नल पर पहुंचते समय अपने वाहन की गति धीमी करें

लाल यातायात बत्ती

- ✓ स्टॉप लाइन से पहले रूकें।
- ✓ यदि स्टॉप लाइन नहीं है अथवा दिख नहीं रही है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रूकें।
- ✓ ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने पर ट्रैफिक सिग्नल से पहले रूकें।
- ✓ पहले पैदल चलने वालों और प्रमुख सड़क पर चलने वाले वाहनों को रास्ते देने के बाद सिग्नल पार करें।

हरी यातायात बत्ती

- ✓ यदि आगे का रास्ता साफ है तभी वाहन को चौराहे पर या पैदल पार पथ के आगे ले जाएं।
- ✓ यदि सिग्नल पर हरा दिशा तीर भी प्रदर्शित हो तो केवल हरा दिशा तीर संकेत दिखाई देने पर वाहन को उस दिशा में आगे बढ़ायें।
- ✓ चौराहे के भीतर या पैदल पार पथ के बगल में उपस्थित किसी पैदल यात्री और किसी अन्य वाहन को रास्ता दें जो हरी बत्ती बदलने के समय चौराहे के भीतर उपस्थित है।
- ✓ चौराहे पर जलने बुझने वाली हरी बत्ती के तीर के सिग्नल पर पहले पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और जिस मार्ग पर वाहन ले जा रहे हैं उससे मिलने वाले मार्ग पर रास्ता देने के बाद तीर की दिशा में वाहन आगे बढ़ाएं।

पीली बत्ती

- ✓ पीली बत्ती के सामने पैदल पार पथ से पूर्व रेखा से पहले वाहन को रोकें
- ✓ यदि रेखा चिन्हित नहीं है अथवा दिखाई नहीं दे रही तो वाहन को पैदल पार पथ से पहले रोकें परन्तु यदि चिन्हित पैदल पार पथ नहीं है तो यातायात बत्ती के सिग्नल से पहले रूकें। जब तक आप रूकने की रेखा को पार नहीं कर जाते या रेखा के इतने निकट पहुंच गए हों कि अचानक वाहन रोकने के कारण पीछे से आने वाले वाहनों के टकराने का खतरा हो सकता है।
- ✓ जलने बुझने वाले पीली सिग्नल के सामने वाहन को धीमा कर दें और पैदल यात्रियों और अन्य वाहन जो पहले से चौराहे पर हैं, को रास्ता देकर वाहन चलायें।

यातायात में विलय

- ✓ राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग या प्रमुख जिला सड़क में प्रवेश करते समय पहले से इन मार्गों पर चलने वाले यातायात को रास्ता दें।
- ✓ एक ही श्रेणी की दो सड़कों के चौराहों पर दायीं ओर वाहन के चालक को रास्ता दें।

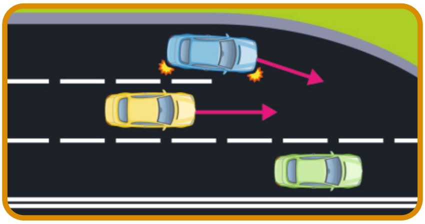

- ✓ राजमार्ग या प्रमुख जिला सड़क पर मिलने वाली लेन में विलय करने से पहले वाहन की गति को तेज करें।
- ✓ यातायात में विलय करने से पहले वाहन के पीछे और बगल में देखने वाले शीशों से यातायात पर पैनी नज़र रखें और उसके बाद ही विलय का संकेत करें।
- ✓ किसी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करें जब तक वह बायीं ओर की लेन पर या जिस लेन पर वाहन चला रहा हो बहुत ज्यादा समय से रूका हुआ नहीं हो।

स्पीड

- ✓ सभी परिस्थितियों को ध्वाहन में रखते हुए केवल उसी समय वाहन की गति बढाएं जब वाहन पर हर समय आपका नियंत्रण हो।
- ✓ कोहरे, बारिश, बर्फबारी, तूफान या रेगिस्तान की हवाओं के दौरान वाहन को धीमी गति से चलाएं ताकि आवश्यकतानुसार वाहन को रोका जा सके।
- ✓ आदेशात्मक चिन्हों में निर्दिष्ट सीमा की पालना करें एवं अधिसूचित अधिकतम गतिसीमा से अधिक गति में वाहन ना चलाएं।
- ✓ बिना उचित और पर्याप्त कारण के, कम गति में वाहन नहीं चलाएं जिसके कारण सामान्य यातायात प्रवाह बाधित हो।
- ✓ किसी निर्माण स्थल या स्कूल या अस्पताल से गुजरते समय या बिना फुटपाथ की सड़क पर और सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के चलने के मार्ग पर 25 किमी. प्रति घण्टा से अधिक गति से वाहन ना चलाएं।

सुरक्षित दूरी बनाएं रखें

- ✓ ताकि यदि आगे चलने वाला वाहन अचानक धीमा हो जाता है या रूक जाता है तो आप सुरक्षित दूरी पर रूकने में सक्षम हो सकें।

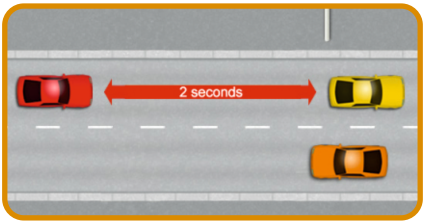

- ✓ यदि आपके पीछे दूसरा वाहन चल रहा है तो बिना किसी अकाट्य कारण के अचानक ब्रेक ना लगाएं।
- ✓ वर्षा, बर्फबारी या सड़क पर किसी गंभीर तूफानी मौसम या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति में, आगे चलने वाले वाहन से थोड़ी ज्यादा दूरी बनाए रखें।

पीछे की तरफ या विपरित दिशा में वाहन चलाने पर प्रतिबंध

- ✓ वाहन पीछे करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता का खतरा या अनुचित असुविधा ना हो।
- ✓ सार्वजनिक सड़क पर वाहन विपरीत दिशा में चलाना मना है।
- ✓ एक तरफा रास्ते में वाहन पीछे की ओर ना चलाएं।

रेलवे क्रॉसिंग पर

- ✓ वाहन धीमा करें और बांयी ओर रखें
- ✓ फाटक बन्द होने पर या बैरियर गिरना शुरू होने के बाद वाहन को रेलवे क्रॉसिंग में ना ले जांए।
- ✓ अरक्षित (बिना फाटक) रेल क्रॉसिंग पर
    - ❖ प्रवेश तब करें जब रेल के डब्बे व इंजन दिखाई देना बंद हो जाते हैं।
    - ❖ स्कूल बस, मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहन क्रॉसिंग से पहले रूक जाएंगे और अपने सहायक या अन्य व्यक्ति को भेज कर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनो ओर से कोई रेल तो नहीं आ रही और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
    - ❖ जहां सहायक या कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, वहां सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से रूककर वाहन की बत्ती चालू रखें और पार करने से पहले जाकर यह सुनिश्चित करे कि कोई रेल तो नहीं आ रही है।

सुरंग में प्रवेश करते समय

- ✓ अपने वाहन के नीचे की रोशनी चालू करें
- ✓ ओवर–टेक, यू टर्न या विपरीत दिशा में वाहन कतई नहीं चलायें
- ✓ सुरंग के भीतर वाहन को खड़ा ना करें जब तक पूरी तरह वह करना आवश्यक नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में वाहन के खतरे की चेतावनी बत्ती चालू करें और वाहन के आगे और पीछे 20 मी. दूरी पर परावर्ती (reflective) यातायात चेतावनी त्रिकोण रखें।

पहाड़ पर चढाई करने वाले वाहनों को प्राथमिकता दे

- ✓ पहाड़ी और खड़ी सड़कों पर, जहां सड़क पर्याप्त रूप से चौड़ी ना होने के कारण मोटर वाहनों को एक साथ एक दूसरे को बिना व्यवधान पहुँचाये पार किया जाना संभव ना हो तो, नीचे उतरने वाले वाहन का चालक–
    - ❖ सड़क के बायीं ओर वाहन खड़ा करे और
    - ❖ पहले ऊपर की ओर आगे बढ़ने/चढ़ने वाले वाहन को पार करने की अनुमति दें।

ऐसी स्थिति में वाहन ना रोकें

- ✓ जहां सड़क संकरी और आगे देखने का दृश्य अवरूद्व हो
- ✓ तीव्र मोड़ पर तेज या मंद लेन में
- ✓ पैदल पार पथ या उससे 5 मीटर पहले
- ✓ रेल समपार पर
- ✓ यातायात बत्ती सिग्नल से 5 मीटर या उससे कम दूरी पर या 'रास्ता देने' या 'रूकने' के संकेत पर
- ✓ किसी नामित बस स्टैण्ड पर बस के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन
- ✓ सड़क पर पीले रंग के चिन्हित बॉक्स पर
- ✓ जहां 'नहीं रूकने' के अनिवार्य संकेत द्वारा वाहन खड़ा करना निषेध किया गया हो

वाहन खड़ा या पार्क ना करें

- ✓ जहां एक प्रमुख सड़क या सड़क के एक हिस्से में अधिसूचित गति सीमा 50 कि. मी. प्रति घण्टे या उससे अधिक हो
- ✓ एक पगडंडी, साइकिल ट्रेक या पैदल पार पथ पर
- ✓ एक चौराहे या जंक्शन से पहले या बाद में या चौराहे या जंक्शन के किनारे से जंक्शन के 50 मीटर की दूरी तक
- ✓ जहां वह नामित वाहन स्थल के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न करेगा
- ✓ जहां बस स्टॉप के निकट, शैक्षिक संस्थान या अस्पताल के प्रवेश द्वार या किसी यातायात संकेतक या अग्नि रोधक को अवरूद्ध करने की सम्भावना हो सकती है।
- ✓ जहां सुरंग में, बस लेन में, किसी सम्पत्ति के प्रवेश या निकास द्वार के सामने
- ✓ जहां सड़क मार्ग की पगडंडी के बगल में एक निरन्तर पीले रंग की रेखा हो
- ✓ पगडंडी के किनारे से दूरी पर
- ✓ अन्य पार्क/खड़े किये वाहन के सामने
- ✓ यदि किसी अन्य वाहन को अवरूद्ध करने की सम्भावना या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असुविधा हो
- ✓ निर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए
- ✓ ऐसे स्थान पर जहां पार्किंग की अनुमति निर्दिष्ट श्रेणी के लिये हो और आपका वाहन उस श्रेणी का नहीं है
- ✓ विकंलाग व्यक्तियों की लिए आरक्षित पार्किंग स्थल पर (यदि आप असक्षम/विकंलाग नहीं है)।
- ✓ जहां पार्किंग को संकेतक द्वारा निषेध किया गया हो

हार्न का इस्तेमाल और शान्त क्षेत्र

- ✓ हार्न का अनावश्यक उपयोग करना निषेध है
- ✓ जहां तक हो सके, हार्न का उपयोग तभी करें जब आपके स्वयं के लिए या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता के लिए खतरे की आशंका हो
- ✓ तब हार्न बजायें जब अनिवार्य संकेतकों द्वारा निदेर्शित किया गया हो
- ✓ हार्न ना बजायें–
  - ❖ लगातार या बार–बार या आवश्यकता से अधिक या आवासीय क्षेत्रों में या अनिवार्य सकेंतकों में इंगित शान्त क्षेत्रों में
  - ❖ हवाई हार्न या बहु आवाज़ वाले हार्न जो कर्कश, चुभती हुई, उँची, खतरनाक या भवाहनक आवाज करते हों

आपातकालीन सेवाओं के लिए नामित वाहन

- ✓ ऐसा वाहन, जब उसका बहु ध्वनि हार्न और जलती बुझती रोशनी चलती है, तब उस वाहन को अन्य वाहनों से पहले रास्ते का अधिकार होगा
- ✓ किसी अत्यन्त आपात स्थिति जैसे मानव जीवन को बचाने, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की गंभीर क्षति रोकने, अपराध रोकने या आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुँचाने, या आग बुझाने इत्यादि के मामले में –

  - ❖ यातायात लाल बत्ती को पार कर सकता है
  - ❖ निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में वाहन चला सकता है
  - ❖ राजमार्ग पर वाहनों के ठहरने के स्थान पर वाहन चला सकता है
  - ❖ प्रवेश निषेध या किसी 'एक तरफा' सड़क पर वाहन चला सकता है

आपातकालीन वाहनों को इस प्रकार प्राथमिकता दी जायेगी

- ❖ सबसे पहले फायर ब्रिगेड को
- ❖ दूसरे, एम्बुलेस को
- ❖ तीसरे, पुलिस वाहन सेवा को
- ❖ चौथे, राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य वाहन को आपात वाहन के रूप में जैसे आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं, पानी और बिजली की आपूर्ति या सार्वजनिक परिवहन वाहन

आपातकालीन वाहन के गुजरते समय

- ❖ वाहन चालक उससे पहले रास्ते का अधिकार देगा और अपने वाहन को बायीं ओर जितना व्यावहारिक रूप से सम्भव हो सकता है कम से कम समय में सड़क के किनारे तक ले जायेगा
- ❖ वाहन को रोक देगा, यदि आवश्यक लगता है जब तक आपातकालीन वाहन वहां से निकल नहीं जाता है वह उसी स्थिति में स्थिर रूका रहेगा

वाहन खराब होने पर

- ✓ यदि दो पहिये से अधिक पहिये वाला वाहन ऐसे स्थान पर खराब हो जाता है जहां वह स्थिर बाधा उत्पन्न कर रहा है, तब वाहन चालक
  - ❖ तुरन्त वाहन की खतरे की चेतावनी लाइटें चालू करेगा
  - ❖ तेज गति वाले राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर, खराब वाहन के पीछे 50 मीटर की दूरी पर रिफ्लेक्टिव यातायात त्रिकोण रखेगा
  - ❖ जहां वाहन खड़ा और सड़क पर आगे मोड़ है, मोड़ से पहले रिफ्लेक्टिव यातायात त्रिकोण रखेगा

दुर्घटना होने पर

छोटी दुर्घटनायें

- ✓ चालक वाहन से नीचे उतर कर वाहन में बैठी सवारियों या मोटर वाहन सहित दुर्घटना स्थल के चित्र खीचेंगे यदि सम्भव हो
- ✓ चालक दुर्घटना में शामिल वाहनों को तुरन्त सड़क के बाहर ले जायेंगे ताकि आने वाले यातायात के लिए मार्ग बाधा रहित/साफ हो
- ✓ चालक अन्य वाहन चालकों को सर्तक करने के लिए वाहन के निकट या उसके आस–पास रिफ्लेक्टिव यातायात त्रिकोण रखेंगे और वाहन की खतरे की चेतावनी लाइटें जला देंगे।
- ✓ तुरन्त पुलिस, एम्बुलेंस या निकटतम अस्पताल में फोन करेंगे।
- ✓ चालक जब तक हर किसी की संतुष्टि के लिए सब कुछ पुरा नहीं कर लेता, दुर्घटना स्थल/दृश्य को छोड़कर नहीं जायेगा भले ही दुर्घटना कितनी ही छोटी क्यों ना हो

बड़ी दुर्घटनायें

- ✓ हर व्यक्ति जो दुर्घटना में शामिल हो उसे स्वयं और वाहन में बैठे यात्रियों की जांच कर यह देखना चाहिए की किसी को चोट तो नही आई है
- ✓ यदि किसी को चोट लगी है, तो तुरन्त एम्बुलेंस, पुलिस को बुलायेगा
- ✓ जब एक बार चालक और यात्रियों की हालत स्थिर हो जाती है तब दुर्घटना में शामिल व्यक्तिओं और वाहनों के चित्र खींचेगा जिस में वाहन के रजिस्ट्रेशन प्लेट और दुर्घटना दृश्य/स्थल के चित्र भी शामिल होंगे।
- ✓ दुर्घटना में शामिल चालक वाहनों को जितनी जल्दी सम्भव हो सके सड़क के किनारे ले जायेंगे
- ✓ यदि वाहन/वाहनों को हटाना सम्भव नहीं है तो दुर्घटना में शामिल प्रत्येक चालक दुर्घटना स्थल पर तब तक उपस्थित रहेगा जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती और घायलों को स्थानान्तरित नहीं किया जाता
- ✓ चालक और सवारियां दुर्घटना की जाँच में पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे
- ✓ यदि किसी दूसरे वाहन के साथ दुर्घटना में शामिल है, तो चालक नाम, पता, फोन न., बीमा कम्पनी, पॉलिसी न., ड्राइविंग लाइसेन्स नं और वाहन को रजिस्ट्रेशन नं आपस में अदला–बदली करेंगें

वाहन को रस्सी से खींचना

- ✓ किसी भी दुपहिया मोटर वाहन को किसी अन्य वाहन द्वारा नहीं खींचा जाएगा
- ✓ वाहन को खींचते समय अधिकतम गति 25 कि.मी. प्रति घण्टे से अधिक नहीं होगी
- ✓ खींचे जाने वाले वाहन और खींचने वाले वाहन की दूरी पांच मीटर से अधिक नहीं होगी
- ✓ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को खींचने वाली रस्सियां या चेन साफ दिखाई देनी चाहिए
- ✓ खींचे जाने वाले वाहन के पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर एक रेफ्लेक्टिव 'ऑन टो' संकेतक नियमानुसार प्रदर्शित किया जायेगा और रात के समय, अधेरें में प्रतिकूल मौसम में वाहन को तब तक नहीं खीचेगा जब तक दोनों वाहनों की खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं दी जाती है

ट्रेक्टर और माल ढोने वाले वाहन चलाना

- ✓ ट्रेक्टर चालक अपने साथ ट्रेक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठायेगा
- ✓ माल वाहन चालक अपने केबिन में रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र में निर्धारित व्यक्तिओं की संख्या से अधिक व्यक्तिओं को नहीं बिठायेगा
- ✓ माल ढोले वाले वाहन पर किसी भी व्यक्ति को किराये या पुरस्कार के लिये नहीं बिठाया जायेगा

माल वाहन के बाहर भार उठा होना/निकलना

- ✓ चालक हर समय भार को सही तरीके से व्यवस्थित और नियन्त्रित रखेगा ताकि किसी अकस्मात आपात स्थिति में ब्रेक लगाने या अचानक झटके के साथ वाहन के मुड़ने पर माल वाहन से न गिरे या अनावश्यक शोर उत्पन्न ना करे
- ✓ कोई चालक किसी सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से माल लदे हुए वाहन को नहीं चलायेगा जिसके कारण किसी व्यक्ति को खतरा पैदा होने की सम्भावना हो

रजिस्ट्रेशन प्लेट

- ✓ किसी भी वाहन को रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये बिना चलाया या खड़ा नहीं किया जायेगा
- ✓ वाहन के आगे और पीछे नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से दृश्य और सुपाठ्य होंगी और इन पर कोई भी वस्तु या धूल/गंदगी उसकी स्पष्ट दृश्यता में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी
- ✓ रजिस्ट्रेशन प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर को छोड़कर कुछ भी नहीं लिखा या गढ़ा जायेगा
- ✓ वाहन पर कोई भार या वस्तु इस तरह से नहीं रखी जायेगी रजिस्ट्रेशन प्लेट पूरी या आंशिक रूप से छिप जाये

वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज़

- व्यवसायिक वाहन चालक अपने साथ निम्न मूल दस्तावेज़ हमेशा रखेंगे सिवाय उन दस्तावेजों को छोड़कर जो किसी प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा किसी कारण से जब्त किये गये हैं–

- **चालन अनुज्ञप्ति** (ड्राइविंग लाइसेंस)
- **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र**
- **बीमा प्रमाण पत्र**
- **फिटनेस प्रमाण पत्र**
- **प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र**
- **कर जमा प्रमाण पत्र**

निजी वाहन के चालक अपने साथ निम्न दस्तावेज़ हमेशा रखेंगे

- ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र या उसकी प्रतिलिपि।
- दस्तावेज़ जब्त होने की स्थिति में जब्ती अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद या अन्य पावती प्रस्तुत की जायेगी।
- यदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बीमा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो 15 दिनों के भीतर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- प्रत्येक चालक सड़क के संकेत चिन्ह्, यातायात नियंत्रण सिग्नल, अधिनियम, नियमों से परिचित होगा और उनका पर्याप्त ज्ञान और समझ रखेगा।

> "प्रत्येक चालक सड़क के संकेत चिन्ह्, यातायात नियंत्रण सिग्नल, अधिनियम, नियमों से परिचित होगा और उनका पर्याप्त ज्ञान और समझ रखेगा।"

> **"मोटर वाहन चालन विनियम, 2017 सड़क उपयोग का एक बुनियादी धर्म है जो सड़क उपयोग के अनुशासन, सुरक्षा एवं दक्षता के आधार पर गठित किए गए हैं। इन नियमों की पालना से सड़क उपयोगकर्ता स्वयं के साथ साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन कर सकता है।"**